न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

कोमल सिंह पिता पुनऊसींग लोधी

ग्राम–गड़िया, शास्त्री वार्ड हटा, तहसील हटा, जिला दमोह म0प्र0

.....आवेदक

वनाम

1– घसोटा पिता फागू अहिरवार,

2– काशीराम पिता सुकैया अहिरवार ,

3– मंजू पिता लटोरा अहिरवार ,

4– तुलैया पिता रजोला अहिरवार ,

5– फूलबाई पिता खड़िया अहिरवार

6– पप्पू पिता धर्मदास रजक ,

7– सुंटा पिता कमला अहिरवार ,

8– म0प्र0 शासन द्वारा अनु0 अधि0 हटा,

ग्राम गड़िया, शास्त्री वार्ड हटा, तहसील हटा, जिला दमोह

..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी हटा, जिला दमोह द्वारा प्र0 क0 03/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 9/01/2017 से परिवेदित होकर कर रहा है, जो प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने की अवधि कम करके समय सीमा में है, माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अनावेदक गण द्वारा एक आवेदनपत्र तहसीलदार महोदय हटा, जिला दमोह के समक्ष संहिता की

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
मो.– 9425451002

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-1390-एक/2017 जिला दमोह कोमल विरूद्ध घसोटा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018 21.12.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक कोमल सिंह की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक घसोटा की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हटा, जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 03/अ-70/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 09-01-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 17-05-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर दमोह के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 21.12.18
सदस्य